(1)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, थानागाजी (अलवर) राजस्थान

बनाम ... मुकदमा नं. 2/38

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नं. व तारीख तामील जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1/8/19 आज यह पत्रावली प्रार्थी के अधीनस्थ द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र लेकर पेश हुई। पूर्व आदेश दिनांक 1/8/17 के द्वारा प्रार्थी की अपील अवधि आगामी दिनांक 12/9/19 तक बढ़ाई जाती है। उपखण्ड अधिकारी थानागाजी (अलवर)	
12/9/19 पत्रावली पेश हुई। अन्य प्रा० पत्र से संबंधित मुलवाद राजीनामा के आधार खारिज हो चुका है। अब इस प्रा० पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रा० पत्र 212 R.T. Act खारिज किया जाता है। फिसल फैसला शुमार होकर नकल से इस ही पक्षकार बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी थानागाजी (अलवर)	

Scanned by CamScanner